ग्रामीण विकास
को समर्पित

कुरुक्षेत्र

वार्षिक मूल्य : 100 रुपये

वर्ष 56 अंक : 1 नवम्बर 2009 मूल्य : 10 रुपये

ग्रामीण ऋण व्यवस्था

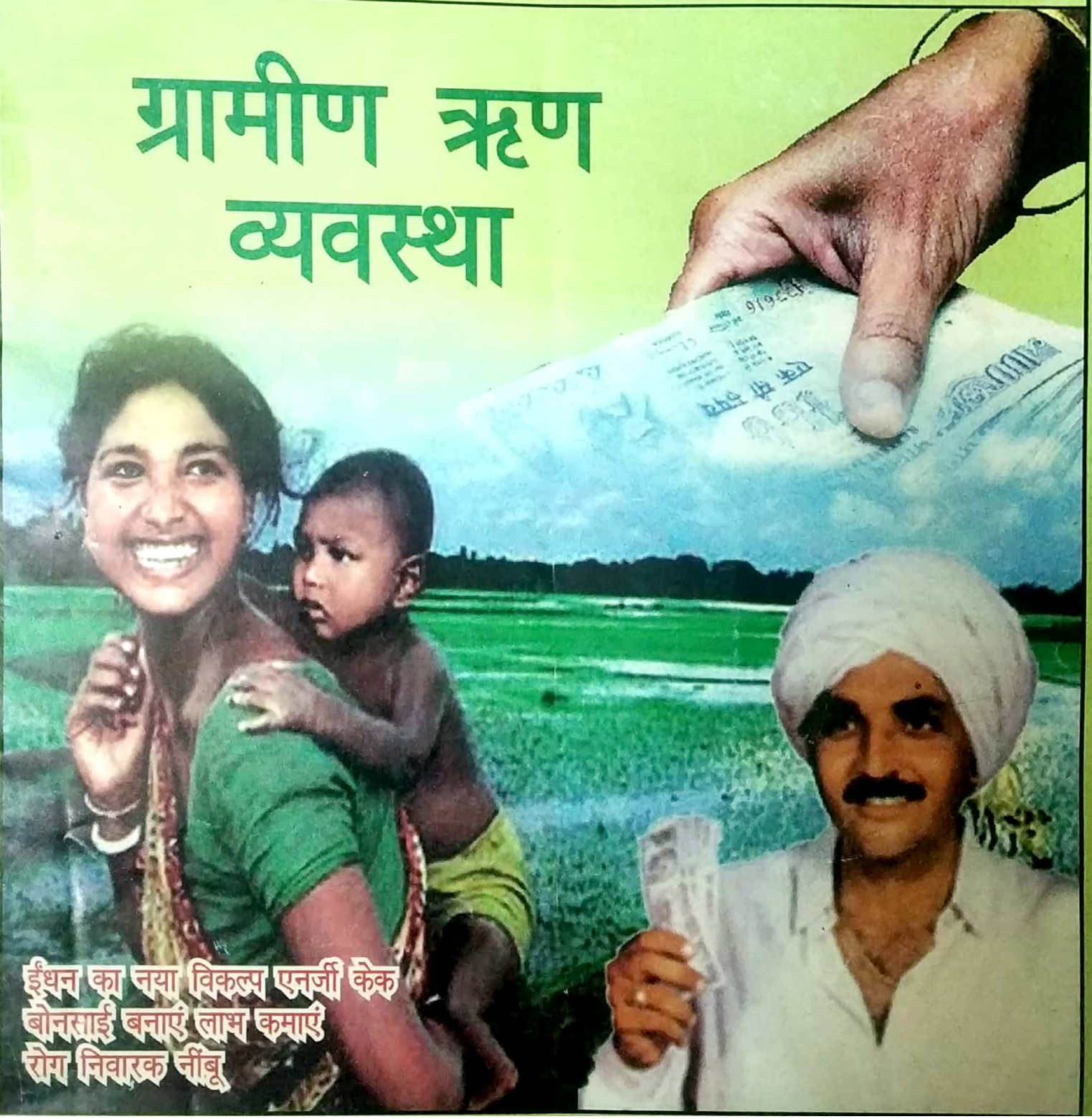

ईंधन का नया विकल्प एनर्जी केक

बोनसाई बनाएं लाभ कमाएं

रोग निवारक नींबू

Scanned by CamScanner

दृष्टिकोण से किए प्रयास अधिक समग्र व दीर्घकालीन होते है। लघु ऋण के तहत भी हमें इस नजरिये से काम करना होगा तभी इसे एक प्रभावी रणनीति के तौर पर स्थापित किया जा सकेगा। अतः यदि स्वसहायता समूहों को महिला सशक्तिकरण का वास्तविक माध्यम बनाना है व महिलाओं को इससे लंबे समय के लिए जोड़े रखना है तो इन समूहों में शिक्षा, साक्षरता व क्षमता निर्माण प्रक्रियाओं पर सबसे ज्यादा जोर देना होगा। तभी यह समूह सही मायनों में इससे जुड़ने वाली सभी महिलाओं के सशक्तिकरण और गरीबी उन्मूलन का जरिया बन सकते हैं।

लघु ऋण व्यवस्था के जरिए महिला सशक्तिकरण

डॉ. सुनिता बोहरा

लघुऋण क्या है?

लघुऋण को बहुत छोटी राशि वाले ऋण और वित्तीय सेवाओं तथा उत्पादों के प्रावधान के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसका उद्देश्य ग्रामीण, अर्द्ध–शहरी और शहरी क्षेत्रों के गरीब लोगों का उनकी आय बढ़ाकर उनके जीवन स्तर में सुधार लाना है। इस प्रकार की सुविधाएं प्रदान करने वाली संस्थाओं को लघुऋण संस्थाएं कहते हैं।

स्वयंसहायता समूह क्या है?

स्वयंसहायता समूह एक समान सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि वाले छोटे उद्यमियों का एक पंजीकृत अथवा अपंजीकृत समूह होता है। ये उद्यमी नियमित रूप से छोटी धनराशियों की बचत करता है और परस्पर सहमति के आधार पर एक साझा निधि में योगदान करने के साथ ही परस्पर सहायता के आधार पर आकस्मिक जरूरतों की पूर्ति करते हैं। समूह के सदस्य सामूहिक बुद्धि और

Scanned by CamScanner

समुचित दबाव का इस्तेमाल करते हैं ताकि ऋण का समुचित उपयोग सुनिश्चित हो और फिर समयानुसार अदायगी हो सके।

महिला सशक्तिकरण

महिला सशक्तिकरण से तात्पर्य किसी भी महिला के आत्मसम्मान, आत्मनिर्भरता व आत्मविश्वास में वृद्धि के साथ–साथ सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक उत्थान से है।

ऋण के जरिए विकास वर्तमान विकास का स्वरूप बन चुका है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व बैंक हो या राष्ट्रीय स्तर पर देश की सरकारें, सभी अब ऋण के जरिए विकास की पैरवी कर रहे हैं। इसी कड़ी में स्थानीय स्तर पर दिए गए छोटे–छोटे ऋणों को लघु ऋण का नाम दिया गया है। लघु ऋण कार्यक्रम सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि अधिकतर विकासशील और गरीब देशों में बड़ी तेजी से अपना दायरा बढ़ा रहे हैं। खासतौर पर जब से ग्रामीण बैंक, बांग्लादेश के संस्थापक नोबेल पुरस्कार विजेता मुहम्मद युनुस ने यह साबित कर दिया कि लघुवित्त ऋण दे वाले और लेने वाले दोनों ही के लिए लाभदायक है तब से न सि लघुवित्त ऋण संस्थान बल्कि बड़े–बड़े राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय क तथा सरकारें भी बढ़–चढ़कर लघुऋण वितरण कार्य क ी हैं।

भारत में अ तर लघु ऋण कार्यक्रम समूहगत ढांचों के जरिये क्रियान्वित ए जाते हैं, जिन्हें स्वयंसहायता समूह के नाम से जाना जाता है भिन्न रिपोर्ट और लेखों के आंकड़ों के अनुसार फिलहाल भारत म कम से कम 70–80 लाख समूह बने हुए हैं, जिनके जरिये क कम 7–8 करोड़ परिवारों तक पहुंच बनाने का दावा किया जा रहा है और इनमें से लगभग 92 प्रतिशत स्वयंसहायता समूह सिर्फ महिलाओं के हैं। न सिर्फ भारत में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी लघुऋण कार्यक्रमों में भाग लेने वाले सदस्यों में 80–85 प्रतिशत जनसंख्या महिलाओं की है। इतनी बड़ी संख्या में महिलाओं के साथ काम करना कोई घटना मात्र नहीं है, इसके पीछे निश्चित कारण व तर्क हैं। 90 के दशक में संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किए गए एक सर्वे में पाया गया कि कुल अत्यधिक गरीब जनसंख्या में 60–65 प्रतिशत महिलाएं है। अर्थात् गरीबी का असली चेहरा एक महिला का है। इसके आधार पर गरीबी के मुद्दे पर अधिक से अधिक महिलाओं तक पहुंच बनाने पर जोर दिया गया। लेकिन महिलाओं के साथ जुड़ाव बनाने का सिर्फ यही कारण नहीं। बड़े पैमाने पर अब यह भी सिद्ध हो चुका है कि न सिर्फ महिलाओं द्वारा लिया गया ऋण परिवार व पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इस्तेमाल होता है बल्कि ये पुरुषों की तुलना में कर्ज वापसी में भी अधिक अनुशासित व प्रतिबद्ध होती हैं। जाहिर है इसलिए भी अधिकतर लघु ऋण कार्यक्रम महिला समूहों के साथ ही काम कर रहे हैं। यही कारण है कि अधिकतर स्वयंसहायता समूह लघु ऋण के जरिए सिर्फ गरीबी उन्मूलन ही नहीं बल्कि अन्य व्यापक उद्देश्यों को पाने का दावा भी करते हैं जिनमें एक सामूहिक उद्देश्य है महिला सशक्तिकरण।

केवल राजनीतिक सशक्तिकरण से ही महिलाओं का संपूर्ण सशक्तिकरण नहीं होगा। राजनीतिक सशक्तिकरण की दृष्टि से भारत की महिलाओं का स्थान 128 देशों में 21वां है, लेकिन आर्थिक भागीदारी, शैक्षणिक मामले एवं स्वास्थ्य की दृष्टि से भारतीय महिलाओं की पूरे विश्व में रैंकिंग क्रमश 122, 116 तथा 126 है। इस तरह महिला सशक्तिकरण का लक्ष्य प्राप्त करने के लिये उत्पादन और आय अर्जन के क्षेत्र में महिलाओं को आगे आना है।

गांवों में एंटरप्रेन्योरशिप मॉडल उभर रहा है जो महिला सशक्तिकरण में अहम भूमिका निभा रहे हैं– जैसे राजस्थान के चोथवाड़ी गांव (चौमूं), जयपुर के फोर्ड फाउण्डेशन की ओर से इंटरनेशनल फैलोशिप प्रोग्राम के तहत फिलीपींस से विकास प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिग्री कर रहे दीपक योगी अपने ही गांव में श्री श्याम संस्कृति सेवा समिति के तत्त्वावधान में शुरू किए गए महिला सशक्तिकरण केंद्र के जरिए 27 गांवों की 4200 से अधिक महिलाओं के रोजगार का जरिया बन गए हैं। दीपक कहते हैं, 'फिलीपींस से लौटकर सबसे पहला काम महिला सशक्तिकरण केंद्र (अगस्त 2006) बनाने का किया और 330 रुपये की अटैची में चंद कागज के टुकड़ों से अपनी शुरुआत कर दी। यह अटैची ही मेरा ऑफिस थी और इसी में बंद थे मेरे सपने।' महिला सशक्तिकरण केंद्र की 35 महिला सदस्यों और 15 हजार रुपये से दीपक ने अपने सपनों की नींव रखी। ग्रामीण महिलाओं को रोजगार के अवसर मुहैया करवाने के लिए उन्होंने अपने ही गांव में माइक्रोफाइनेंस (लघुवित्त) कार्यक्रम शुरू किया। दीपक अब तक 76 लाख रुपये का ऋण लघुवित्त के जरिए महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए दे चुके हैं। शुरुआती मुश्किलों के बारे में दीपक बताते हैं, 'जयपुर के एमएसएमई विकास संस्थान से एनजीओ प्रबंधन कोर्स करने के साथ ही मैंने काम शुरू किया और इधर–उधर से सात लाख रुपये जुटाए। दिसंबर 2006 में राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) की ओर से 50 स्वयंसहायता समूह बनाने के लिए सहयोग मिल गया। इसी

Scanned by CamScanner

मेहनत का नतीजा है कि आज महिलाएं बैंकिंग प्रणाली से ज्यादा लघुवित्त के हमारे मॉडल पर भरोसा जताती हैं।' रेड एंड व्हाइट बहादुरी पुरस्कार (2000) और राजस्थान सरकार की ओर से अक्षर मित्र पुरस्कार लेने वाले दीपक कहते है, 'फिलीपींस से मैं मलेशिया, सिंगापुर, हांगकांग और थाईलैंड गया, जहां लघुवित्त के मॉडल की जानकारी जुटाई। वही जानकारी यहां आकर अपने साथियों के साथ बांटी। आज 27 गांवों का काम संभाल रहे हमारे कर्मचारियों में 70 फीसदी से ज्यादा महिलाएं हैं। अब संस्थान के सभी कर्मचारी कामकाज के साथ पत्राचार से उच्च शिक्षा भी हासिल कर रहे है। उनका आधा खर्च संस्थान की ओर से उठाया जा रहा है।'

लघु वित्त ऋण और गरीबी उन्मूलन

गरीबी के चक्रव्यूह से निकलने के लिए सूदखोर व्यवस्था से बाहर निकलने को जरूरी मानते हुए यह दावा किया जाता है कि लघुऋण तक पहुंच से गरीब परिवारों की साहूकारों पर निर्भरता कम हुई है। किसी हद तक यह दावा सही भी है और कई अध्ययनों से यह तथ्य निकलकर आया कि परिवार की छोटी–मोटी आवश्यकताओं को पूरा करने या संकट की घड़ी में अकस्मात जरूरत में समूह द्वारा मिले ऋण से महिलाओं को काफी मदद मिलती है, लेकिन साथ ही यह भी सच है कि इसके जितने बड़े दावे किए जाते है वास्तविकता में इसे उतनी सफलता नहीं मिली है।

वर्ष 2008 में **निरंतर** संस्था द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर 2,700 समूहों के साथ किए गए अध्ययन में यह बात निकलकर सामने आई कि लगभग 30 प्रतिशत समूह की महिलाएं समूहगत स्रोतों के अलावा अन्य स्रोतों से भी ऋण ले रही थीं। जिन स्रोतों से ऋण लिया गया उनमें 60 प्रतिशत ऋण गांव के महाजन से लिया गया था। स्पष्ट है कि मात्र ऋण उपलब्ध करा देने से गरीबी जैसी जटिल समस्या से नहीं जूझा जा सकता। इससे पहले दक्षिण में डी. राजशेखर द्वारा किए गए एक अन्य अध्ययन के अनुसार भी स्वयंसहायता समूह से जुड़ी होने के बावजूद लगभग 56 प्रतिशत महिलाओं ने महाजनों से ऋण लिया।

मैक्सिको के लघुऋण विशेषज्ञ अल्फोन्जो क्रिस्टलो का मानना है कि गरीबी उन्मूलन और क्षमता निर्माण का सीधा व गहरा संबंध है। उनके अनुसार, 'गरीब परिवारों तक यदि सरकार का काम सिर्फ समूह बनाकर ऋण उपलब्ध करा देने तक सीमित है तो वह गरीबी उन्मूलन नहीं, गरीबी संवर्धन कार्यक्रम कहलाना चाहिए। उन्होंने कहा कि "क्षमता निर्माण के अभाव में गरीब महिलाएं ऋण के रूप में मिले संसाधन को सार्थक तरीके से इस्तेमाल करने में अक्षम होती है। इसके फलस्वरूप उनकी आर्थिक स्थिति में तो सुधार नहीं आता बल्कि उन पर कर्ज का बोझ और लद जाता है। आय संवर्धन न होने से स्वयंसहायता समूहों से मिला ऋण उन्हें ऋण के चक्रव्यूह में फंसा देता है। इससे एक ऋण चुकाने के लिए दूसरे ऋण और दूसरे ऋण को चुकाने के लिये तीसरे ऋण का अनवरत सिलसिला शुरू हो सकता है।" बांग्लादेश में ऋण और उसके प्रभाव को समझने के लिये किए गए कई अध्ययनों ने भी इस ऋण के चक्रव्यूह की बात को स्थापित किया है।

वर्तमान लघुवित्त परिदृश्य से देखे तो लघु उद्यम एक आम शब्द बन गया है जिसके जरिए गरीब परिवारों को खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में आमदनी के जरिए से जोड़ने का दावा किया जाता है। परंतु हकीकत में देखने में आता है कि यह शब्द जितना भारी–भरकम है इसका प्रभाव उतना ही हल्का और उथला है। किसी भी उद्योग को चलाने के लिए, चाहे वह कितना ही छोटा क्यों न हो, खास कौशल और प्रबंधकीय क्षमताओं की आवश्यकता होती है। परंतु स्वयंसहायता समूह के संदर्भ में कौशल और क्षमता का विकास करने के मौके बहुत ही सीमित अथवा न के बराबर मौजूद है। अधिकतर यह ऋण द्वारा उपक्रम महिलाओं के जरिये होता है तो क्षमता निर्माण की आवश्यकता भी दुगुनी हो जाती है। क्योंकि पारंपरिक तौर पर महिलाओं को बाहर निकलने और बाजारी व्यवस्था को समझने का मौका नहीं मिलता। परंतु अचानक इस लघु ऋण और माइक्रो एंटरप्राइज के नाम से उन पर जो जिम्मेदारियां आ जाती हैं उन्हें समुचित क्षमता निर्माण के बिना निर्वाह करना अत्यधिक मुश्किल है। परंतु फिलहाल भारत में चल रहे अधिकतर स्वसहायता कार्यक्रमों में क्षमता निर्माण सबसे कमजोर पहलू है। **निरंतर** द्वारा किए गए अध्ययन में भी यह पाया गया कि 2,700 समूहों में सिर्फ 35 समूहों को ही किसी भी प्रकार के प्रशिक्षण का अवसर मिला था। उनमें भी रोजगार या आजीविका संबंधी प्रशिक्षण तो मात्र 21 प्रतिशत समूहों को ही मिला। संभव है यही कारण है कि इतने बड़े पैमाने पर स्वयंसहायता समूहों के जरिए लघुऋण रूपी संसाधनों तक पहुंच बनाने के बाद भी गरीबी और गरीबों की स्थिति पर कोई स्पष्ट प्रभाव दिखाई नहीं देता।

गरीबी दरअसल सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि सामाजिक समस्या भी है जिसके मूल में आमदनी की कमी ही नहीं बल्कि संसाधनों का असमान और अन्यायपूर्ण बंटवारा है और यह सिर्फ पैसे की कमी से नहीं बल्कि जाति, धर्म और लिंग से भी जुड़ी हुई है। यही कारण है कि कुछ खास जाति या धर्म से जुड़े समुदाय अधिक गरीब हैं और उनमें सभी महिलाएं अधिकतर संसाधनहीन। जाहिर है फिर गरीबी से निपटने के लिए भी लघुऋण या माइक्रो इंटरप्राइज् काफी नहीं। इसलिए गरीबी जैसी जटिल समस्या से जूझने में सिर्फ रणनीति ही नहीं नजरिए को भी अधिक व्यापक और समेकित करने की आवश्यकता है। इसके लिये जरूरी है कि हमारा दृष्टिकोण मात्र आमदनी बढ़ाने तक सीमित न होकर आजीविका सुनिश्चित करने वाला हो।

आजीविका के दृष्टिकोण में मात्र आमदनी अथवा रोजगार नहीं बल्कि संसाधनों तक पहुंच, उनका न्यायपूर्ण बंटवारा, स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छ जल इत्यादि भी शामिल होते हैं।

लघु ऋण और महिला सशक्तिकरण

लघुऋण विशेषज्ञ व अध्ययनकर्ता लिण्डा मायो के अनुसार, "क्योंकि गरीबी की बुनियाद में असमानता और भेदभाव है इसलिए जब तक सामाजिक न्याय व स्त्रियों की समानता का मुद्दा हल नहीं होगा। गरीबी का मुद्दा हल नहीं किया जा सकता।" परंतु स्वसहायता समूहों के जरिए जो ऋण प्राप्त होता है तो यह उम्मीद की जाती है कि महिलाएं इस संसाधन का उपयोग परिवार की आर्थिक स्थिति सुधारने में करेंगी। इस सोच के तहत न सिर्फ महिलाओं पर आर्थिक योगदान करने का दबाव बढ़ रहा है बल्कि उनके अन्य कामों, खासकर घर व खेती के आय रहित कामों को और अधिक नगण्य बनाया जा रहा है। जहां एक ओर महिलाओं के घरेलू कामों को पहचान देने का संघर्ष चल रहा है, वहीं दूसरी ओर समूहों के माध्यम

Scanned by CamScanner

से महिलाओं के आर्थिक योगदान को बढ़ावा देकर इनके अन्य योगदानों को अनदेखा किया जा रहा है। इस प्रक्रिया को न्यायपूर्ण नहीं कहा जा सकता।

इसके साथ ही महिलाओं द्वारा लिए गए ऋण की वापसी भी महिलाओं की ही जिम्मेदारी बन जाती है, जबकि ऋण का उपयोग पूरे परिवार के लिए होता है। ऋण वापसी के दबाव के चलते कई अध्ययनों में यह पाया गया कि महिलाओं के काम के घंटे भी बढ़ गए जबकि गरीबी उन्मूलन की भांति ही महिला सशक्तिकरण भी स्वसंसहायता समूहों का एक खास मकसद है। बांग्लादेश में जहां सबसे अधिक सफल लघुऋण का कार्यक्रम होने के दावे किए जाते हैं वहां हुए कई अध्ययनों ने यह स्थापित किया कि इससे महिलाओं पर अत्यधिक बोझ पड़ गया है। जहां एक तरफ पारंपरिक पुरुष सत्ता के क्षेत्र ऋण और उसकी अदायगी की जिम्मेदारी महिलाओं पर आ गई है वहीं उनकी परंपरागत जिम्मेदारियों में कोई कमी नहीं हुई है। क्या इस स्थिति को वास्तविक रूप में सशक्तिकरण कहा जा सकता है?

नारीवादी विचारकों के अनुसार, महिला सशक्तिकरण के केंद्र में सत्ता व उसका बंटवारा होता है। सत्ताहीन वर्गों/समुदायों अथवा लिंगों का सत्ता पर नियंत्रण और उसके न्यायपूर्ण बंटवारे की प्रक्रिया से ही सशक्तिकरण संभव है। यहां सत्ता को सिर्फ राजनीतिक, धार्मिक व सामाजिक संदर्भों में ही नहीं बल्कि भौतिक (संसाधन) व व्यक्तिगत संदर्भों में भी समझना आवश्यक है। महिला सशक्तिकरण के संदर्भों में देखे तो जेंडर की सामाजिक समझ, परिभाषा व भूमिकाएं लगभग सभी पितृ सत्तात्मक समाज द्वारा तय की गई है व सत्ता भी उन्हीं के हाथों में है। अतः सशक्तिकरण की प्रक्रिया में निहित है जेंडर की सामाजिक समझ व सोच का बदलाव, संसाधनों पर महिलाओं का नियंत्रण तथा महिला व पुरुष की सामाजिक भूमिकाओं और छवि का बदलाव। इन प्रक्रियाओं की समझ और इनको चुनौती देकर ही महिलाओं के जीवन में मूलभूत बदलाव लाया जा सकता है।

परंतु देखने में आता है कि अधिकतर संस्थाएं व कार्यक्रम खासतौर पर सरकारी कार्यक्रम व परियोजनाएं, समूह और उनकी गतिविधियों को बहुत ही सीमित दायरों में देखते हैं। उदाहरण के लिये समूहों का पंचायत से जुड़ाव। पंचायत यदि स्थानीय स्तर पर प्रशासन का स्वरूप है तो महिलाओं की इसमें सक्रिय भागीदारी होनी चाहिए। पंचायत से जुड़कर वे न सिर्फ सत्ता का हिस्सा बन समुदाय स्तर पर निर्णय प्रक्रियाओं से जुड़ सकती है बल्कि प्रशासन व राज्य से जवाबदेही की मांग भी कर सकती हैं। लेकिन **निरंतर** द्वारा किए गए अध्ययन में स्पष्ट निकलकर आया कि 50 प्रतिशत से भी कम समूहों ने पंचायत के साथ कोई जुड़ाव बनाया और जिन समूहों ने जुड़ाव की बात की, उनमें से भी अधिकतर यानी लगभग 70 प्रतिशत समूहों से अधिकतर समूह नेताओं द्वारा ही ग्रामसभा बैठकों में भागीदारी निभाई गई है। अर्थात् उन समूहों की भी अधिकतर सदस्य पंचायत की प्रक्रियाओं से दूर ही रहीं।

यह एक उदाहरण था, समूह के सशक्तिकरण से दावे और हकीकत के बीच फासले को उजागर करने का। इसी तरह और भी बहुत–सी प्रक्रियाएं है जिन्हें सशक्तिकरण प्रक्रिया का अनिवार्य हिस्सा माना जाता है, जैसे शिक्षा अर्थात् सीखने–सिखाने के औपचारिक व अनौपचारिक अवसर व क्षमता निर्माण अवसर जो कि अधिकतर समूहों में सिरे से नदारद है। यह बिंदु तब और भी महत्वपूर्ण हो जाता है जब अधिकतर प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम या तो बंद कर दिए गए हैं अथवा उन्हें स्वसहायता समूह कार्यक्रमों में तब्दील कर दिया गया है। कई कार्यक्रम समूह आधारित शिक्षा कार्यक्रम चलाने का दावा भी कर रहे हैं परंतु इन समूहों में भी बचत व ऋण की केंद्रीयता तो है ही, साथ ही शिक्षा व साक्षरता के आधे–अधूरे प्रयास को ही काफी मान लिया जाता है। हमें इस रवैये को भी समझने और बदलने की आवश्यकता है।

निष्कर्ष

वर्तमान स्थिति में स्वसहायता समूह और लघुऋण वह हकीकत है जिससे आंख नहीं चुराई जा सकती तो उनसे जुड़ने वाली महिलाओं की सामाजिक–आर्थिक स्थिति उससे भी बड़ी हकीकत। महिलाओं को इन समूहों के केंद्र में रखकर गरीबी उन्मूलन के लिये लंबे समय तक यंत्र की भांति इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।

(लेखिका जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर में समाजशास्त्र विभाग में अतिथि प्रवक्ता हैं।)

सदस्यता कूपन

मैं/हम का नियमित ग्राहक बनना चाहता हूं/चाहती हूं/चाहते हैं।

शुल्क : **कुरुक्षेत्र** एक वर्ष के लिए 100 रुपये, दो वर्ष के लिए 180 रुपये, तीन वर्ष के लिए 250 रुपये का

(जो लागू नहीं होता, उसे कृपया काट दें)

डिमांड ड्राफ्ट/भारतीय पोस्टल आर्डर क्रमांक ..... दिनांक ..... संलग्न है।

कृपया ध्यान रखें, आपका डिमांड ड्राफ्ट/भारतीय पोस्टल आर्डर निदेशक, प्रकाशन विभाग को नई दिल्ली में देय हो।

पता .....

..... पिन .....

इस कूपन को काटिए और शुल्क सहित इस पते पर भेजिए :

विज्ञापन और प्रसार प्रबंधक

प्रकाशन विभाग, पूर्वी खंड–4, तल–7, रामकृष्णपुरम,

नई दिल्ली–110 066

Scanned by CamScanner